छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 422/2006</u>

श्री राकेश चौबे, ... आवेदक
10/226, फौव्वारा चौक,
सक्ती बाजार, रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... अनावेदक
कार्यालय सचिव,
राष्ट्रीय विद्यालय समिति,
कचहरी चौक, रायपुर (छ.ग.)

:: आदेश ::

(12 सितम्बर 2006)

आवेदक श्री राकेश चौबे के द्वारा सचिव, राष्ट्रीय विद्यालय समिति से सूचना का अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 16.05.06 के द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय समिति की गठित कोर कमिटी का उद्देश्य, समिति द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय की वर्ष 2005–06 की आडिट रिपोर्ट की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि, वर्ष 2006–07 की अनुमानित बजट की प्रति, महाविद्यालय के प्राध्यापकों में से मानसेवी/तदर्थ की सेवामुक्त मार्च 2006 की सूची तथा राष्ट्रीय विद्यालय समिति रजिस्ट्रार फर्म समिति द्वारा जांच के आदेश की प्रति चाही थी। राष्ट्रीय विद्यालय समिति के द्वारा आवेदक को कोई जानकारी प्राप्त न होने से आवेदक ने आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की।

2. आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया। अनावेदक समिति की ओर से श्री एस.के. महोबिया अभिभाषक उपस्थित हुए। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा तर्को को सुना गया। अनावेदक संस्था का यह कथन है कि संस्था शासन से अनुदान प्राप्त नहीं है अतः अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत वह सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। आवेदक ने संस्था के द्वारा संचालित राष्ट्रीय प्राथमिक शाला, राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक शाला, श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय को अनुदान दिये जाने के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत किये गये। जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर के द्वारा राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय एवं राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को दिये गये अनुदान के आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। इसके अनुसार वर्ष 2005–06 राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर को 90,110/– रूपये आयोजनेत्तर तथा 8,800/–रूपये आयोजना एवं राष्ट्रीय प्राथमिक शाला रायपुर को 11,000/–रूपये आयोजनेत्तर मद में अनुदान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र दिनांक 7 जून 2006 की प्रति प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार श्रीमती प्रमिला

गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय को 55,488/– रूपये का अनुदान प्राप्त हुआ। आवेदक ने शपथ पत्र भी दिया कि राष्ट्रीय विद्यालय समिति के द्वारा ही उक्त दोनों संस्थाएं संचालित होती हैं, अतः अनुदान संस्था को ही माना जावेगा। अनावेदक के द्वारा इस तर्क को अस्वीकार किया गया तथा जवाब दिया गया कि अनुदान संबंधित प्राथमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय के प्राचार्यो को प्राप्त होता है तथा उक्त अनुदान का हिसाब भी संबंधित संस्थाओं में ही रखा जाता है। समिति को कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता। अनुदान का उपयोग एवं हिसाब रखने का उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षण संस्था का ही है।

3. आवेदक ने राष्ट्रीय विद्यालय से संबंधित जानकारी चाही है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि समिति को शासन की ओर से अनुदान प्राप्त नहीं होता है तथा आवेदक ने भी ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि समिति के नाम से शासन के द्वारा किसी प्रकार का अनुदान दिया गया हो। अतः अधिनियम की धारा 2 (एच)(डी) के अंतर्गत राष्ट्रीय विद्यालय समिति सरकार द्वारा दी गई निधियों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय–पोषित सिद्ध नहीं होती।

4. चूंकि समिति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वित्तीय–पोषित न होने से सूचना देने के लिए बाध्य नही है अतः आवेदक की यह शिकायत अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त